English

1. Nature and Scope of Nomadic Tribes and Deprived Castes
2. Culture of Nomadic Tribes and Deprived Castes
3. Nomadic Tribes and Deprived Castes in the Context of Constitution and Law
4. The Role of Nomadic Tribes and Deprived Castes in Freedom Fight
5. Portrayal of Nomadic Tribes and Deprived Castes in Indian Literature
8. The Autobiographies of Nomadic Tribes and Deprived Castes : A Comparative Study
9. Social Life of Nomadic Tribes and Deprived Castes
10 Life and Literature of Nomadic Tribes and Deprived Castes

साथ ही इस विषय से संबंधित किसी अन्य विषय पर भी शोध-पत्र हिंदी, मराठी,अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जा सकता है।

शोध आलेख जमा करने हेतु दिशा - निर्देश

1. शोध सार के लिए अधिकतम शब्द सीमा 200-250 शब्द है।
2. शोध आलेख प्रस्तुतियाँ मूल और अप्रकाशित होनी चाहिए।
3. शोध आलेख सह-लेखक संख्या तीन व्यक्तियों तक सीमित है। शोध आलेख प्रस्तुति के समय कम से कम एक लेखक का उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. शोध आलेख का शीर्षक और विषय संगोष्ठी के संबंधित विषय और उप विषयों से निकटता से संबंधित होना चाहिए।
5. शोध आलेख सार में 3-4 की वर्ड हो सकते हैं।
6. पूर्ण शोध पत्र के लिए शब्द सीमा 2000-2500 शब्द है (फुटनोट को छोड़कर)
7. हिंदी और मराठी भाषा के शोध आलेख मंगल फॉन्ट साइज 14 में टाइप होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा के शोध आलेख टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, जिसमें फ़ॉन्ट आकार 12 और 1.5 लाइन स्पेसिंग हो।
8. शोध आलेख केवल एमएस वर्ड में जमा किया जाना चाहिए। आलेख 15 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित ई-मेल पर भेजें depthindivck@gmail.com

शोध आलेख का प्रकाशन विवेक रिसर्च जर्नल के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाएगा।
पंजीकरण शुल्क - अध्यापक 200/
रिसर्च स्कॉलर्स / स्टूडेंट्स - रु. 100 /
पंजीकरण शुल्क में संगोष्ठी किट, नाश्ता,

संगोष्ठी की रुपरेखा

प्रथम दिवस : 21 मार्च, 2022	द्वितीय दिवस : 22 मार्च, 2022
पंजीकरण : 9 से 11.00	प्रथम सत्र : 10.30 से 12.00
उद्घाटन समारोह : 11 से 12.00	शोध आलेख प्रस्तुति : 12 से 2.00
बीज भाषण : 12 से 1.30	भोजन अवकाश : 2.00 से 3.00
भोजन अवकाश : 1.30 से 2.30	द्वितीय सत्र : 3 से 4.00
प्रथम सत्र : 2.30 से 4.00	समापन सत्र : 4 से 5.00
द्वितीय सत्र : सांस्कृतिक समारोह : 4 से. 6.00	

संगोष्ठी समिति सदस्य

डॉ. एच. पी. पाटील	डॉ. प्रभावती पाटील
श्री. किरण पाटील	डॉ. कैलास पाटील
डॉ. कविता तिवडे	सौ. उर्मिला खोत
डॉ. सिध्दार्थ कट्टीमणी	डॉ. वाय. डी. हरताळे
श्री. एच. व्ही. चामे	श्री. सनी काळे
डॉ. शुभांगी काळे	कु. समिक्षा फराकटे
डॉ. सलमा मणेर	कु. सुप्रिया पाटील
डॉ. स्वप्निल बुचडे	डॉ. प्रदिप पाटील
श्री. संदिप पाटील	

जो प्रतिभागी निवास की व्यवस्था चाहते हैं वो संयोजन समिति से 15 मार्च, 2022 तक संपर्क करे।
संयोजन समिति संपर्क :
डॉ. आरिफ महात मो. 9860857089
डॉ. दीपक तुपे मो. 8805282610

बैंक डिटेल : प्राचार्य विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर
पंजाब नॅशनल बैंक
खाता संख्या : 08882010001590
IFSC : PUMBO088810

प्रति,

प्रेषक :
मा. प्राचार्य, विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)

'ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी शिक्षण प्रसार'
-शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे

Indian Council of Social Science Research

आज़ादी का अमृत महोत्सव

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापुर संचालित

विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)

हिंदी विभाग एवं
इंडियन कॉउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

दि. 21 और 22 मार्च, 2022

संगोष्ठी का विषय:
विमुक्त और घुमंतू जन समुदाय: दशा और दिशा (भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में)

मार्गदर्शक

मा. प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे
कार्याध्यक्ष, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापुर

मा. प्राचार्या सौ. शुभांगी गावडे
सचिवा, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापुर

संयोजक

डॉ. आर. आर. कुंभार
प्रधानाचार्य,
विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)

समन्वयक,

डॉ. आरिफ महात
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)

डॉ. दीपक तुपे
सह-समन्वयक, हिंदी विभाग,

डॉ. श्रुती जोशी
आय.क्यू.ए.सी. समन्वयक

विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर (स्वायत्त)

दूरभाष : 0231-2658612, 2658840, फैक्स : 0231-2658840

मा. महोदय/महोदया,

विनम्र अभिवादन

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं इंडियन कॉउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप से नम्र अनुरोध है कि प्रस्तुत राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित रहकर इस आयोजन को सफल बनाने में बहुमोल योगदान दें।

हमारा महाविद्यालय :

विवेकानंद कॉलेज की स्थापना सन् 1964 में हुई जो महाराष्ट्र के श्रेष्ठ गुणवत्ता प्राप्त महाविद्यालयों में से एक है। इस महाविद्यालय में हर साल 8000 से ज्यादा छात्र अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए प्रविष्ट होते हैं। बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सी, एम. कॉम, एम.एस्सी इन पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.सी.एस., बी.एस्सी. (बायोटेक्नॉलॉजी) तथा एम.बी.ए., बी. व्होक इन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों का भी समावेश है। यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ की तरफ से बी.ए., बी. कॉम. और बी.एस्सी, एम.एस्सी और एम.बी.ए., बी.लिब., एम.लिब. जैसे पाठ्यक्रमों को भी छात्रों के लिए शुरू किया गया है। साथ ही 13 सी. ओ. सी. (प्रमाणपत्र) पाठ्यक्रम शुरु है।

कॉलेज को NAAC, बेंगलुरु द्वारा 'ए' ग्रेड दो बार प्राप्त हुआ है। कॉलेज को यूजीसी द्वारा दो बार उत्कृष्टता के लिए संभावित कॉलेज (सीपीई) के रूप में पहचाना गया है और जैव-तकनीकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्टार कॉलेज योजना में शामिल किया गया है। कॉलेज ने एन.आई.आर.एफ., एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा आयोजित 2017 की रैंकिंग में शिवाजी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान, महाराष्ट्र में 5 वां और भारत में 58 वां स्थान प्राप्त किया है। कॉलेज आई. एस. ओ. 9001-2015 से प्रमाणित है।

हिंदी विभाग:

महाविद्यालय में हिंदी विभाग सन् 1964 से कार्यरत है। शुरुआत से ही विभाग ने अनेकों महत्वपूर्ण गतिविधियों में अपना योगदान देते हुए संस्था तथा महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर द्वारा दी जानेवाली गुणवत्ता छात्रवत्ति हमारे छात्रों को कई बार प्राप्त हो चुकी है। हर साल हमारे छात्र केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आयोजित 'हिंदी नवलेखक शिविरों के लिए चुने जाते हैं। वर्ष 2016-2017 में हमें भी इस शिविर के आयोजन का मौका मिला था, जिसमें विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों से 30 शिविरार्थियों ने हिस्सा लिया था। महाविद्यालय द्वारा हर साल प्रकाशित किए जानेवाले 'विवेक' नियतकालिक में हमारे छात्र जो लेखन प्रस्तुत करते हैं उसके लिए हर साल कई छात्र उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी कोल्हापुर के हमारे इस महाविद्यालय में पढनेवाले छात्र ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है फिर भी उनकी हिंदी भाषा के अध्ययन, लेखन, पठन तथा चिंतन के प्रति रुचि एवं गति देखकर हमें उससे अत्यधिक प्रेरणा मिलती है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी की भूमिका:

भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में सभी का योगदान रहा है। इसे नकारा नहीं जा सकता। घुमंतू समुदाय ऐसा ही एक समाज है जो अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवाया है। इस समुदाय ने अपने तरफ से देश को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिया है लेकिन आज भी यह समाज मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है।

घुमंतू का शाब्दिक अर्थ है, 'घुमक्कड़' जो बिना कारण इधर-उधर घूमे। साथ ही जब कोई शौक से, अनुभव लेने को, ज्ञान प्राप्ति हेतु यात्राएँ करता है, जिसके लिए खूब पैसा और समय चाहिए। लेकिन घुमंतू जनजाति के संदर्भ में घुमंतू का अर्थ जाने तो वो विशेष जाति जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और आजीविका की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते हैं और घूमना इनका शौक नहीं विवशता है। इसी के संदर्भ में हमारे देश में आज घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, विमुक्त जनजातियों में लगभग 840 जातियाँ है, जिनमें भारतीय समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा वर्ग है। इसमें- कालबेलिये, नट, भांड, पारधी, बहुरूपिये, सपेरे, मदारी, कलंदर, बहेलिये, भवैया, बंजारे, गुज्जर, गाड़िया लुहार, सिकलीगर, कुचबंदा, रेबारी, बेड़िया, नायक, कंजर, सांसी जैसी सैकड़ों जातियाँ आती हैं।

सन् 1871 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत बहुत सारी लड़ाकू जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब या अपराधी जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत में इन जनजातियों को जन्मजात अपराधी योषित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करनेवाली इन समुदायों की संतानों को भी जन्मजात अपराधी के श्रेणी में रखा गया था। भारत देश को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त, 1947 मिली लेकिन अंग्रेजों द्वारा थोपी गयी इन समुदाय की गुलामी 31 अगस्त, 1952 को समाप्त हुई। सन् 1952 तक अंग्रेजी कानून के तहत इन्हें जन्मजात अपराधी माना जाता था। अब ये आदतन अपराधी माने जाने लगे, मगर उनके नाम के आगे विमुक्त शब्द जुड़ गया जिससे पता चले कि ये अपराधी समुदाय से जुड़े लोग हैं। विडंबना यह है कि अंग्रेजो द्वारा प्रचलित पूर्वाग्रह के आधार पर इन विमुक्त जनजातियों को आज भी इन्हें सामान्य जन या अभिजात वर्ग द्वारा अपराधीक प्रवृत्ति का माना जाता है।

भारत में सन् 2011 की जनगणना के अनुसार घुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के कारण ये कलंकित जीवन जीने के लिये मजबूर हैं, जिसके कारण ये कहीं अपना घर बसा नहीं पातें। समाज के द्वारा मुख्य धारा में समाहित न हो पाने के कारण और जीवन के मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के अभाव में ये असामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। इस समुदाय की स्त्रियों की स्थिति इस से भी बदतर है। अपने आप को, बच्चों को जीवित रखने के लिए बेड़नी, नचनिया, देह व्यापार जैसा काम कर अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

वर्तमान दौर में अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत साहित्य में विमर्श के बहाने उपेक्षित जनजीवन को साहित्य में स्थान दिया जा रहा है। दलित, आदिवासी स्त्री, किन्नर आदि समाज जीवन साहित्य में चित्रित किया गया है। अब तो साहित्य में घुमंतू जनजातियों पर भी बहुत मात्रा में भारतीय भाषाओं में साहित्य का निर्माण हो रहा है; जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, बंगला आदि प्रमुख भाषाओं में आत्मकथा, उपन्यास, कहानी,कविता आदि विधाओं के माध्यम से घुमंतू जन जातियों का वास्तविक चित्रण किया गया है।

विशेष सूचना
उत्कृष्ट शोध आलेख लेखन एवं प्रस्तुतीकरण को पुरस्कृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय संगोष्ठी के उप-विषय

1) विमुक्त घुमंतू समुदाय: अवधारणा एवं स्वरूप
2) विमुक्त घुमंतू समुदाय: समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में
3) विमुक्त घुमंतू समुदाय: संविधान एवं कानून के परिप्रेक्ष्य में
4) विमुक्त घुमंतू समुदाय: भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में
5) विमुक्त घुमंतू समुदाय: स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में
6) भारतीय साहित्य में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों पर आधारित उपन्यासों का अध्ययन
7) विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की आत्मकथाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन
8) दलित और विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन
9) आदिवासी और विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन
10) भारतीय परिप्रेक्ष्य में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों का जीवन और साहित्य

मराठी

1) भटक्या विमुक्त जाती जमाती: स्वरुप आणि व्याप्ती
2) भटक्या विमुक्त जाती जमातींची संस्कृती
3) संविधान आणि कायद्याच्या संदर्भात भटक्या विमुक्त जाती जमाती
4) भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि भारतीय साहित्य
5) स्वातंत्र्य लढा आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती
6) भटक्या विमुक्त जाती जमातींच्या आत्मचरित्रातील सामाजिकता
7) दलित आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती आत्मकथांचे तौलनिक चिंतन
8) आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती आत्मकथांचे तौलनिक चिंतन
9) महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमाती चे सामाजिक जीवन